आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
19/12/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **संचिका सं0 36-15/2013** **अभिमन्यु कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्र वाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 144/गो0 दिनांक 16.1.2013 के द्वारा आवेदक श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, पिता- श्री विजय कुमार सिंह, सा0-अंग्रेजी बाजार, थाना-सोनपुर, जिला-सारण का एक NPB रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आरंभ किया गया है। इसी क्रम में आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 6898/2013 दिनांक 19.6.2013 दाखिल कर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि आवेदक को अपनी पैतृक सम्पत्ति एवं व्यवसाय की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। यह भी बतलाया कि इस संबंध में पुलिस जॉच प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है। अतः आवेदक को एक NPB रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। इस न्यायालय के ज्ञापांक 2932/विधि दिनांक 20.11.2013 के प्रसंग में थानाध्यक्ष, सोनपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 में सोनपुर मेला में कम्युनिटी पुलिस के सदस्य रहा है एवं इनका कार्य काफी सराहनीय रहा है। आवेदक का पैतृक सम्पत्ति भी अच्छी है। आवेदक का संयुक्त परिवार है, जिसके सदस्य छोटा-मोटा व्यवसाय करता है। अपनी सम्पत्ति एवं अपने परिवार के व्यवसाय के लिए	

आवेदक के द्वारा अज्ञात लोगों से खतरा महसूस किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5295/गो0 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा Threat Assessment पर थानाध्यक्ष, सोनपुर के उक्त प्रतिवेदन से अपनी सहमति व्यक्त की गई है।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से संतुष्ट होते हुए आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13(2–A) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms दिनांक 31.3.2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं0 3026 दिनांक 13.4.2010 से संसूचित है, के आलोक में आवेदक श्री अभिमन्यु कुमार सिंह को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र वैद्यता के साथ एक NPB रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 32 /न्यायालय दिनांक 29/1/14

प्रतिलिपि - पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण को संचिका संख्या 36-15/13 मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - NIC पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा
27/1/14